

न्यूज़ डुडे

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है

- UNEP ने "नॉइज़, ब्लेज़ एंड मिसमैक्स" नामक शीर्षक से "फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022" जारी की है। इसमें निम्नलिखित तीन चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है:
 - अर्बन साउंडस्केप्स यानी शहरों में ध्वनि प्रसार क्षेत्र,
 - वाइल्डफायर्स यानी वनाग्नि, और
 - फोनोलॉजिकल शिफ्ट यानी ध्वनि स्तर में मुख्य बदलाव।
- इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:
 - ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों में दक्षिण एशिया के 13 शहर शामिल हैं। इनमें से पांच शहर भारत में हैं। ये हैं: **मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली।**
 - सड़क यातायात, रेलवे या मनोरंजक गतिविधियों से पैदा हुए ध्वनि प्रदूषण की चपेट में लंबे समय तक रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह असमय मृत्यु, हृदय रोग व मेटाबोलिक संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। इससे लोगों में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है।
 - दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दर्ज किया गया है।
- ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम:
 - शुरुआत में ध्वनि प्रदूषण को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शामिल किया गया था। बाद में, इसके लिए एक अलग कानून 'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000' लाया गया था।
 - हालांकि, अभी भी वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत, उद्योगों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच जुर्माने का प्रस्ताव दिया है।
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 मोटर वाहनों, एयर-कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स आदि के लिए ध्वनि मानकों (noise standards) को निर्धारित करता है।
 - ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम:
 - ध्वनि प्रदूषण क्या है?
 - जब ध्वनि या आवाज या शोर का स्तर लगातार बहुत अधिक या उच्च बना रहता है, तो ऐसी स्थिति को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके चपेट में आने से मनुष्यों या अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - CPCB ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के तर्कसंगत (permissible) स्तरों को निर्धारित किया है।



सागरमाला – शानदार सफलता के सात वर्ष

- सागरमाला कार्यक्रम को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक प्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर के नौवहन योग्य जलमार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित सामरिक स्थलों का उपयोग कर रहा है।
 - इसका मुख्य विज़न बुनियादी ढांचे में न्यूनतम निवेश कर, आयात-निर्यात और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- सागरमाला की उपलब्धियां और प्रमुख पहलें:
 - सेवा वितरण में गुणवत्ता आने से बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम (कंटेनरों के लिए) में कमी आयी है। यह वर्ष 2013-14 के 44.70 घंटे से कम होकर 28.58 घंटे हो गया है।
 - भारतीय बंदरगाहों की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता वित्त वर्ष 2014-15 के 1,052 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) से बढ़कर 1,500 MMTPA हो गई है।
 - स्मार्ट पोर्ट्स (लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विस; RFID समाधान इत्यादि) के निर्माण, सेवाओं के डिजिटलीकरण; बाधा रहित डेटा प्रवाह आदि के माध्यम से बंदरगाहों की दक्षता और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हुआ है।
 - समुद्र तट के आस-पास औद्योगिक और निर्यात वृद्धि को गति देने के लिए बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
 - औद्योगीकरण के इस लक्ष्य को 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (Coastal Economic Zones: CEZs) के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।
 - तटीय आबादी का कौशल विकास: दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना को सागरमाला से जोड़कर 1,900 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

बंदरगाह आधारित विकास

बंदरगाह आधुनिकीकरण	बंदरगाह कनेक्टिविटी	बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण	तटीय समुदाय का विकास
■ क्षमता वृद्धि ■ नए बंदरगाह ■ दक्षता में सुधार	■ नई सड़क / रेल कनेक्टिविटी ■ सड़क / रेल संरचना में सुधार ■ तटीय पोत परिवहन ■ अंतर्देशीय (इनलैंड) जलमार्ग परिवहन ■ लॉजिस्टिक्स पार्क्स	■ औद्योगिक क्लस्टर ■ तटीय रोजगार क्षेत्र ■ समुद्री क्लस्टर ■ स्मार्ट औद्योगिक बंदरगाह शहर ■ बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)	■ कौशल विकास ■ तटीय पर्यटन परियोजनाएं ■ मत्स्य बंदरगाहों व मछली प्रसंस्करण केंद्रों का विकास

सागरमाला कार्यक्रम के 4 स्तंभ

वर्ष 1951-2015 के बीच उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के सतह के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है

- संसद में सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में महासागरीय तापन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वर्ष 1951-2015 की अवधि में समुद्र सतह के तापमान (SST) में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यह तापमान बढ़ोतरी औसतन 0.15 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से हुई है।
- पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीटवेक्स (प्रति दशक 1.5 घटनाएँ) में चार गुना वृद्धि हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में हीटवेक्स (प्रति दशक 0.5 घटनाएँ) में दो से तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।
 - समुद्री या मरीन हीटवेक्स का आशय समुद्री जल के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी से है। यह तब उत्पन्न होता है, जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक सामान्य से अधिक हो जाता है।
- हिंद महासागर में समुद्री हीटवेक्स के लिए उत्तरदायी कारण:
 - हिंद महासागर में सतही जल के गर्म होने और प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाओं की प्रतिक्रिया में समुद्री हीटवेक्स उत्पन्न होते हैं।
 - स्थानीय रूप से, जब सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और कमजोर पवन प्रवाह के कारण इवैपरेटिव कूलिंग (वाष्पीकरण से प्रेरित शीतलन) में गिरावट आती है तो मरीन हीटवेक्स का निर्माण होता है।
 - सामान्यतः महासागरीय धाराएँ भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर पहुँचाती हैं। हालांकि, जब पश्चिमी हिंद महासागर में पवनें कमजोर हो जाती हैं तो गर्म जल इस क्षेत्र से बाहर नहीं हो पाता है। इसके चलते भी समुद्री या मरीन हीटवेक्स उत्पन्न होता है।
- समुद्री हीटवेक्स के प्रभाव:
 - मध्य भारत में मानसूनी वर्षा में कमी।
 - दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा में वृद्धि।

समुद्री हीटवेक्स

समुद्री हीटवेक्स लगातार कुछ दिनों तक महासागर के गर्म होने स्थिति है। इनका समुद्री जीवन और मानव समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

चरम मौसम

- गर्म जल
- उष्णकटिबंधीय तूफानों और हरीकेन में वृद्धि

बढ़ता महासागर दबाव

- स्तर-विन्यास
- अम्लीकरण
- डीऑक्सीजनेशन

जैव विविधता और पर्यावास हानि

- पर्यावास विखंडन
- खाद्य जाल में बाधाएँ
- प्रजातिगत प्रवास
- सामूहिक मृत्यु

आर्थिक नुकसान

- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की मृत्यु दर में वृद्धि



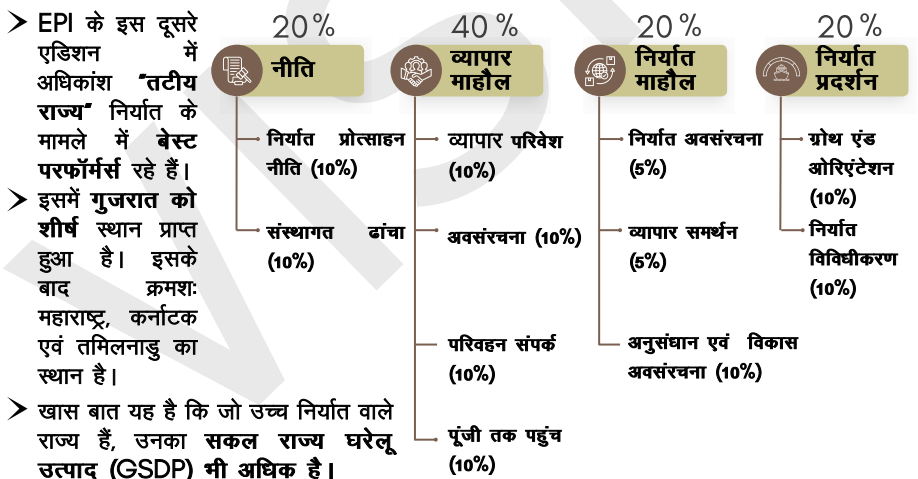
पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में 10 गुना तीव्रता

पिछले 10 वर्षों में समुद्री हीटवेक्स में 50% की वृद्धि

वर्ष 2100 तक 20-50 और अधिक समुद्री हीटवेक्स

नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 {Export Preparedness Index (EPI) 2021} जारी किया

- इस सूचकांक को नीति आयोग ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपिटिवनेस' के साथ मिलकर तैयार किया है। वर्तमान सूचकांक EPI का दूसरा एडिशन या संस्करण है।
- इस सूचकांक के माध्यम से निर्यात को लेकर, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता और उनकी तैयारी का आकलन किया जाता है। इससे भारत की निर्यात उपलब्धियों का एक व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है।
- साथ ही, यह सूचकांक निर्यात के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है।
- EPI, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा-चालित प्रयास है।
- यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार मुख्य स्तंभों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
 - ये चार मुख्य स्तंभ हैं- नीति (Policy), व्यापार माहौल (Business Ecosystem), निर्यात माहौल (Export Ecosystem) तथा निर्यात प्रदर्शन (Export Performance)।
 - इन चार स्तंभों को आगे 11 उप-स्तंभों में बांटा गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:



- खास बात यह है कि जो उच्च निर्यात वाले राज्य हैं, उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) भी अधिक है।
- लैंडलॉक राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन हरियाणा का रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है।
- निर्यात तैयारी सूचकांक का महत्व:
 - यह निर्यात अनुकूल नीतियां बनाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
 - इससे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
 - यह निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए रणनीतिक बिंदुओं को पहचानने में सहायता करता है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं:
 - निर्यात के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तथा एक क्षेत्र के भीतर असमानताएं मौजूद हैं।
 - सभी राज्यों में व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति कमजोर है। यही हाल व्यापार वृद्धि के मामले में भी है।
 - जटिल और विशेष प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान एवं विकास (R&D) अवसंरचना का अभाव है।

GSAT 7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह

- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने GSAT 7B के लिए एक्सेप्टेन्स ऑफ नैसेसिटी यानी इसकी खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। एक्सेप्टेन्स ऑफ नैसेसिटी (यानी आवश्यकता की स्वीकृति), खरीद का पहला चरण है।
 - GSAT 7B को देश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जा रहा है।
 - GSAT 7B को अगले 2-3 वर्षों में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। यह सेना के उपयोग के लिए एक अत्याधुनिक, मल्टीबैंड व सैन्य श्रेणी का उपग्रह होगा।
 - यह सैन्य बल की क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
 - इससे सेना की सूचना-संचार क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। यह भारत की नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देगा और बिना असफल हुए सेना को संचार सुविधा प्रदान करेगा।
- GSAT 7 शृंखला के उपग्रह भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit: GTO) के आधुनिक उपग्रह हैं।
 - इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य रक्षा सेवाओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करना है।
 - GSAT 7 उपग्रह (वर्ष 2013 में लॉन्च) का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। वहीं GSAT 7A (वर्ष 2018 में लॉन्च) को भारतीय वायु सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - वर्तमान में, भारतीय थल सेना GSAT 7A की 30% संचार क्षमताओं का उपयोग कर रही है।
- भारत के अन्य सैन्य उपग्रह:
 - इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलेजेंस गैदरिंग सैटेलाइट (EMISAT): यह कौटिल्य नामक एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलेजेंस (ELINT) पैकेज से लैस है।
 - इसमें भूमि पर स्थित रडार को बाधित करने की क्षमता है। यह पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करता है।

- RISAT 2BRI सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह: इसमें बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग मोड सहित अलग-अलग मोड में संचालित (ऑपरेट) होने की क्षमता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSOs) की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है

- इस फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक और गैर-बैंक PSOs सभी पेमेंट टच-पॉइंट्स के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स (अक्षांश और देशांतर) को कैच करेंगे तथा उनका रखरखाव करेंगे।
 - वे देश भर में स्थित अपने सभी पेमेंट टच-पॉइंट्स की सटीक अवस्थिति (लोकेशन) के लिए एक रजिस्ट्री बनाए रखेंगे। इसमें व्यापारी से संबंधित जानकारी और भुगतान स्वीकृत करने लिए स्थापित बुनियादी ढांचे का विवरण शामिल होगा। इस प्रकार के बुनियादी ढांचे में शामिल हैं- प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल्स, QR कोड आदि।
 - PoS टर्मिनल्स (मोबाइल PoS, सॉफ्ट PoS, टैबलेट PoS, डेस्कटॉप PoS आदि सहित) और पेपर-आधारित या सॉफ्ट QR कोड (भारत QR, यूपीआई, QR आदि) की जियो-टैगिंग से जुड़ी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।
- जियो-टैगिंग के बारे में:
 - भुगतान प्रणाली में जियो-टैगिंग का आशय पेमेंट टच-पॉइंट्स के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स (अक्षांश और देशांतर) को कैच करने से है। ये टच-पॉइंट्स व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए स्थापित किये जाते हैं।
- लाभ:
 - इस कदम के चलते अब भुगतान स्वीकृत करने लिए स्थापित बुनियादी ढांचे (जैसे कि PoS टर्मिनल्स, QR कोड) आदि की उपलब्धता की रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी।
 - इससे अब आसानी से विभिन्न स्थानों पर डिजिटल भुगतान की पैठ और डिजिटल अवसंरचना के घनत्व का पता लगाया जा सकेगा।
 - इसके चलते पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वितरण में स्थानीय स्तर पर किसी कमी का पता लगाकर और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से उसे दूर किया जा सकेगा।
 - यह कदम और अधिक पेमेंट टच-पॉइंट्स को स्थापित करने की संभावना की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही, यह डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को भी सुगम बनाएगा।

अन्य सुर्खियां

 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM)	- भारत के औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अनुसूचित दवाओं के मूल्य में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप NLEM में शामिल 800 से अधिक दवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। - NLEM के बारे में: - स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची तैयार की है। - NLEM के अंतर्गत परिभाषित सभी आवश्यक दवाओं को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन के रूप में माना जाता है। - अन्य संबंधित तथ्य: - सरकार द्वारा हाल ही में सूचित किया गया है कि प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत देश भर में 8,600 से अधिक जन-औषधि केंद्र कार्यरत हैं। - PMBJP फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसके माध्यम से जन-औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
 मर्कोसुर (MERCOSUR)	- यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के चलते भारत कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात के लिए मर्कोसुर देशों के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध के लिए प्रयासरत है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात को बाधित किया है, जिससे खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। - इसके लिए, भारत को मर्कोसुर देशों से सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को कम करने की आवश्यकता होगी। - साथ ही, भारत को वर्ष 2004 में लैटिन अमेरिकी देशों के समूह के साथ हस्ताक्षरित मौजूदा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) के तहत सख्त परीक्षण आवश्यकताओं को भी समाप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। - मर्कोसुर की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह लैटिन अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक समूह है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं।
 प्योर टाइम प्रेफरेंस थ्योरी (Pure time preference theory)	- यह एक आर्थिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा ब्याज की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। - यह सिद्धांत अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रैंक फेटर द्वारा 20वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक "द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स" के माध्यम से दिया गया था। - इसके अनुसार, ब्याज तब उत्पन्न होता है जब भविष्य की वस्तुओं के लिए वर्तमान वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है क्योंकि लोग अन्य सभी चीजों को समान मानते हुए, भविष्य की वस्तुओं पर वर्तमान वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। - यदि कोई व्यक्ति भविष्य की खपत पर तत्काल खपत को प्राथमिकता देता है, तो उसे तत्काल समय को उच्च वरीयता देने वाला कहा जाता है। इसके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समय को निम्न वरीयता देने वाला कहा जाता है।
 स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme: SVEP)	- भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। - SVEP, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की एक उप-योजना है। - उद्देश्य: - ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए स्व-रोजगार के अवसर विकसित करना; तथा - सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्धन (Community Resource Persons-Enterprise Promotion: CRP-EP) के ग्राम स्तरीय केंद्र के एक समूह को प्रशिक्षित करके स्थानीय संसाधनों का विकास करना।
 अटल इनोवेशन मिशन तथा Her&Now के बीच साझेदारी (Partnership between AIM and Her&Now)	- नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और GIZ की सहायता से शुरू प्रोजेक्ट Her&Now ने भारत में महिला उद्यमियों के लिए लिंग-आधारित बाधाओं को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग का निर्णय लिया है। - AIM और Her&Now के बीच साझेदारी से AIM इनक्यूबेटर्स और इनोवेशन सेंटर्स को "विनक्यूबेट (WINcubate) ट्रेनिंग प्रोग्राम" उपलब्ध होगा और उन्हें लिंग-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी। - विनक्यूबेट ट्रेनिंग प्रोग्राम को Her&Now द्वारा एक भारतीय NGO 'धृति - द करेज विदिन' के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह वर्ष 2019 से देश में कार्यान्वित महिला उद्यमिता सहायता कार्यक्रमों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है।

 ई-संजीवनी (e-Sanjeevani)	- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा द्वारा अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने टेली-परामर्श सेवा का लाभ प्राप्त किया है। - टेलीमेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्म 'ई-संजीवनी' और 'ई-संजीवनी ओ.पी.डी' को वर्ष 2019 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा विकसित किया गया था। - ई-संजीवनी एक 'डॉक्टर-टू-डॉक्टर' टेलीमेडिसिन प्रणाली है। इसे भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। - इसके तहत सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 'हब एंड स्पोक' मॉडल के आधार पर टेली कंसल्टेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 प्रस्थान (अपतटीय सुरक्षा अभ्यास) {Prasthan (Offshore Security exercise)}	पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा मुंबई तट से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र (Offshore Development Area: ODA) में 'प्रस्थान' नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है।
 मैसूर घोषणा-पत्र 2022 (Mysuru Declaration 2022)	- मैसूर घोषणा-पत्र के अनुसार, विश्वविद्यालय, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही, वे SDGs की प्राप्ति के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी (AIU) के नेटवर्क के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को साझा करेंगे। - SDG को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी लोगों को शांति और समृद्धि के लाभ प्रदान करने के लिए अपनाया गया था।
 रफ-टूथ डॉल्फिन (Rough-Toothed Dolphin)	- लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग के एक शोध दल द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में पहली बार जीवित रफ-टूथ डॉल्फिन (स्टेनो ब्रेडेनसिस) को देखा गया है। - रफ-टूथ डॉल्फिन के बारे में: - यह पूरे विश्व में उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण जल में पायी जाती है। हालांकि, इसके संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। - इसकी लंबाई 8.5 फीट तक होती है। इसके शरीर का रंग धूसर (ग्रे), हॉठ और गला सफेद और पेट धब्बेदार होता है। - संरक्षण की स्थिति: - IUCN: लीस्ट कंसर्न - CITES: परिशिष्ट II

8468022022, 9019066066
www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



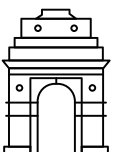
/Vision_IAS



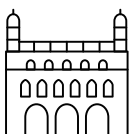
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



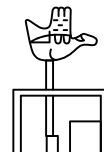
हैदराबाद



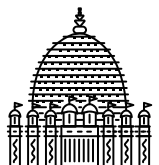
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी